नकली शराब फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़ दो अभियुक्त गिरफ्तार

By स्वतंत्र प्रभात खबर - March 25, 2021 195 0

रायबरेली । पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी लालगंज के निकट पर्यवेक्षण में आगामी पंचायत चुनाव 2021 के दृष्टिगत अवैध मादक द्रव्य तथा अवैध शराब की बिक्री तस्करी निष्कर्षण के विरुद्ध कृत कार्यवाही के अंतर्गत दिनांक 24 मार्च 2021 को थाना गुरबक्शगंज पुलिस टीम आबकारी टीम रायबरेली द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गण अभिषेक सिंह चौहान पुत्र धर्मेंद्र सिंह चौहान निवासी ग्राम भवानी बक्स का पुरवा मजरे सुल्तानपुर खेड़ा थाना गुरबक्श गंज जनपद रायबरेली, धर्मेंद्र सिंह चौहान पुत्र शेर बहादुर निवासी ग्राम भवानी बक्स का पुरवा मजरे सुल्तानपुर खेड़ा थाना जनपद रायबरेली को थाना क्षेत्र के ग्राम भवानी बक्स का पुरवा के पास स्थित भट्ठे के पास पोल्ट्री फार्म से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया

तथा अभियुक्त गण सुशील कुमार पुत्र मंगा लाल यादव ग्राम शिवराजपुर थाना ऊंचाहार रायबरेली, उमेश अज्ञात, चाइना अज्ञात,विनीत पान्डे अज्ञात मौके से भाग निकले गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर कब्जे से 26000 अदद नकली ढक्कन, 14000 अदद नकली लेवल, 9000 अदद नकली क्यूआर कोड, 8600 अदद प्लास्टिक की खाली शीशी,15 अदद खाली ड्रम (200 लीटर के) एक पानी की टंकी सफेद,12 अदद नीले रंग की वाटर जार, एक अदद मारुति सुजुकी वाहन संख्या यूपी 33 बी के 2182,10 अदद खाली रेडिको खेतान लिमिटेड रामपुर आदि नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 126/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 259, 260 भारतीय दंड विधान धारा 63 कॉपीराइट अधिनियम, धारा 104 ट्रेडमार्क अधिनियम तथा धारा 72 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि यह पोल्ट्री फार्म का कमरा मेरा है जिसे मैंने सुशील कुमार पुत्र गंगा लाल यादव निवासी ग्राम दुबराजपुर थाना ऊंचाहार रायबरेली को 30000 में मासिक किराए पर दिया था जिसमें हम लोग मिलकर बाहर से शीशी ढक्कन तथा केमिकल आदि लाकर इसी कमरे में नकली शराब बनाते हैं समस्त कारोबार का संचालन सुशील कुमार द्वारा किया जाता है जिसमें हम लोग सहयोगी हैं बनी हुई नकली शराब को कार मारुति सुजुकी वाहन संख्या यूपी 33 बीके 2182 से सप्लाई करते हैं अभिषेक सिंह चौहान पुत्र धर्मेंद्र चौहान निवासी भवानी बक्स का पुरवा मजरे सुल्तानपुर खेड़ा थाना गुरबक्श गंज जनपद रायबरेली, धर्मेंद्र सिंह चौहान पुत्र शेर बहादुर सिंह भवानी बक्श का पुरवा मजरे सुल्तानपुर खेड़ा थाना गुरबक्श गंज रायबरेली फरार अभियुक्त सुशील कुमार पुत्र मंगा लाल यादव ग्राम शिवराजपुर थाना ऊंचाहार रायबरेली, उमेश अज्ञात,चाइना अज्ञात, विनीत पांडेय अज्ञात मौके से फरार हो गए

गिरफ्तार करने वाली टीम ने आबकारी निरीक्षक अजय कुमार सर्किल नगर व टीम रायबरेली, आबकारी निरीक्षक राजेश कुमार गौतम सर्किल ऊंचाहार व टीम रायबरेली, थाना अध्यक्ष संतोष कुमार थाना गुरबक्श गंज, उप निरीक्षक अजीत प्रताप सिंह,उप निरीक्षक शुभम सिंह यादव,मुख्य आरक्षी मिही लाल वर्मा,मुख्य आरक्षी दिनेश सिंह, मुख्य आरक्षी राजकुमार सिंह, आरक्षी सहदेव कुमार, आरक्षी अरविंद यादव, आरक्षी सुशील यादव, आरक्षी चालक मनोज कुमार सहित थाना गुरबक्श गंज पुलिस शामिल रही ।

Source: https://www.swatantraprabhat.com/two-accused-arrested-by-fake-liquor-factory-arrested/